

क्र०/डी०एम०/ 6671

जबलपुर दिनांक 24/12/2020

प्रति,

मण्डल अभियंता (तारे)
भारत संचार निगम लिमिटेड
जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले में BSNL Ltd. द्वारा ग्राम गिदुरहा से मढ़ाबंजर में OFC Line डालने हेतु 0.092 हे० वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/37186/2018)

संदर्भ :- 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र. /एफ-5/2020/10-11/3923 दिनांक 19/11/2020.
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर का पत्र क्रमांक/मा०चि०/ 10368 दिनांक 23/12/2020.

—00—

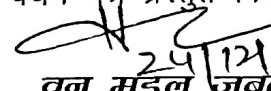
विषयान्तर्गत लेख है कि वन परिक्षेत्र सिहोरा के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम गिदुरहा से मढ़ाबंजर मार्ग के किनारे भूमिगत ट्रेंच खोदकर ओ०एफ०सी० केबल लाईन डाली जाना है। जिसमें निम्नानुसार वनभूमि प्रभावित होगी :-

क.	प्रभावित वन क्षेत्र	मार्ग का नाम	जी.पी.एस. रीडिंग	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	रकबा हे० में
1	पी.एफ. 34	गिदुरहा से	Start Point - N-23°21'26.55", E-80°12'59.02" End Point - N-23°22'03.50", E-80°13'05.75"	368	0.55	0.020
2	पी.एफ. 35	मढ़ाबंजर	Start Point - N-23°22'03.50", E-80°13'05.75" End Point - N-23°22'15.91", E-80°13'07.34"	1302	0.55	0.072
Total :-				1670	0.55	0.092

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवेदक संस्था को मुख्य वन संरक्षक भू-सर्वेक्षण के पत्र क्रमांक 1839 दिनांक 12/03/2004 एवं पत्र क्र. /एफ-5/विविध/2017/10-11/3283 दिनांक 31.05.2017, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/विविध/2018/10-11/3183 दिनांक 12/10/2018 के द्वारा जारी निर्देश के अन्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 23/12/2020 से प्राप्त अनुमोदन अनुसार संदर्भित पत्र दिनांक 19/11/2020 के पालन में निम्नानुसार शर्त के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है :-

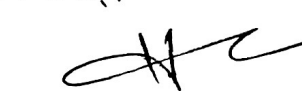
1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केबल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत की जावेगी। राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे-किनारे मार्ग सीमा के अन्दर आने वाले क्षेत्र से है।
3. वन भूमि पर आष्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खन्ती का आकार 2 मीटर गहरा एवं स्वीकृत चौड़ाई से अधिक नहीं होगा।
4. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा।
5. रखरखाव की अनुमति वन मण्डलाधिकारी से प्राप्त की जावेगी।
6. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गयी खन्ती से निकाली गयी मिट्टी से किया जायेगा।
7. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी /पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा।

- 8 वृक्षों को नहीं काटा जायेगा। खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जायेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा।
 - 9 यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वन मण्डल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि आवेदक / आवेदक संस्थान से देय होगी।
 - 10 आवेदक/ आवेदक संस्थान लिखित वचन पत्र देवें कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन प्रधान मुख्य वन संरक्षक म0प्र0 क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमण्डलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होगी।
 - 11 भूमेगत आर्टिकल फाइबर केबल के प्रकरणों में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन या वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक/202/95 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.1996 के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क्र./16-10 -सात/2-ए/90 दिनांक 13.01.1997 में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक/आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि आवेदक ऐसे वनों का विवरण अपने आवेदन में नहीं देते तो स्वीकृति जारी करते समय संबंधित कलेक्टर को आवेदक द्वारा प्रदत्त मानचित्र की प्रति देते हुए यह सूचित किया जाए कि वे आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा की जा रही खुदाई के प्रकरणों में इस तथ्य का ध्यान रखें कि यह स्वीकृति केबल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है। अगर आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा जानकारी सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है। तो उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाये, ताकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत विधिवत् कार्यवाही की जा सके।
 - 12 सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
 - 13 कार्य की स्वीकृति/प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेंगे।
 - 14 कार्य आरंभ करने के पूर्व संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा को सूचना दी जावे।
- उपरोक्त शर्तों के पालन हेतु, पालन प्रतिवेदन एवं आवश्यक वचन पत्र प्रस्तुत किये जावे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


वन मंडल जबलपुर
 सामान्य वनमण्डल जबलपुर
 जबलपुर, दिनांक 20/12/2020

क्रमांक/डी.एम./ 6672

- प्रतिलिपि :-**
- 1- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष-भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. /एफ-5/2020/10-11/3919 दिनांक 19.11.2020 के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - 2- मुख्य वनसंरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - 3- कलेक्टर, जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
 - 4- उप वनमण्डलाधिकारी, सामान्य सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 - 5- वन परिक्षेत्र अधिकारी, सिहोरा की ओर सूचनार्थ।


वन मंडल जबलपुर
 सामान्य वनमण्डल जबलपुर
 23/12/2020